न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या 249/2016/225 आरटीए

1. चन्दुराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. साहबराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

**–: बनाम :–**

1. मानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 06/2015 अनवानी मानाराम बनाम चन्दुराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं. 2

निर्णय दिनांक –18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिये रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र रेस्पो0 स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की यह जवाब देही थी कि प्रार्थीगण की ढाणी प.न. 106/380 कि.न. 15 मे बनी हुई है उसी पत्थर के कि.न. 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो

सुविधानुसार व मौका पर ढाणी बनी हुई है से सीधा रास्ता पहुंच जायेगा। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो की पुष्टि हेतु रिपोर्ट मौका तहसील प्राप्त किये बिना ही कतई विधि विरूद्ध प.न. 106/380 के कि.न. 16 मे रास्ते की जगह पर अन्य काश्तकार की ढाणी होने के क्यास के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प.न. 106/380 कि.न. 16 जिस काश्तकार की खातेदारी है ना तो वह पक्षकार था और ना ही उसका कोई ऐतराज था इसलिए विचारण न्यायालय को विधिक प्रावधानानुसार उक्त भूमि के काश्तकार को पक्षकार बनाते हुए रिपोर्ट मौका प्राप्त कर ही आवेदन पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता का निस्तारण करना चाहिए था जबकि प.न. 106/380 कि.न. 16 व 25 मे मौका पर रास्ता चालू था व आज भी मौका पर चालू है।

4. विचारण न्यायालय द्वारा चक 6 बीएचएम के प.न. 107/380 मु.न. 44 के कि.न. 21 व 20 मे से जिस स्थान पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया है अगर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो वहां पर कदाचित ही रास्ता स्वीकृत नही हो सकता था क्योंकि उक्त कि.न. 21 मे ट्यूबवैल व सरकारी नक्का एवं एक अन्य नक्का जो इस किला के दक्षिण पश्चिम कोणे मे बना हुआ है जो लगभग 10 फीट ऊंचा है। इस प्रकार इस जगह पर रास्ता स्वीकृत ही नही हो सकता था एवं कि.न. 20 मे भी सरकारी नक्का उत्तरी दक्षिण कोणे मे स्थित है एवं उक्त दोनो किला मे पश्चिमी तरफ धोरी खाला भी है। इस प्रकार प्रश्नगत रास्ता अगर कायम रहता है तो अपीलांट की भूमि मे सिंचाई व्यवस्था भंग हो जावेगी। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पो0 द्वारा जो नक्शा प्रश्नगत भूमि का प्रस्तुत किया है वह सही नही है। अपीलांट ने हल्का पटवारी जाखडावाली से दिनांक 11.07.2017 को नक्शा प्राप्त किया है जो विवादित बिन्दू को तय करने मे सहायक दस्तावेज है जिसे न्यायहित मे अभिलेख लिया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस

के समर्थन मे आरआरडी 2016 पेज 699 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे बनी ढाणी के लिये रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट कथनानुसार कि कि.न. 16 व 25 मे रास्ता मंजूर किया जाता है तो अपीलांट को कोई नही थी परन्तु यह तथ्य भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब मे स्वीकार किया है कि कि.न. 16 मे रास्ते की जगह पर अन्य काश्तकार की ढाणी बनी हुई है। इन सभी तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विधिवत रूप से आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल नजरी नक्शा चक 6 बीएचएन प.न. 107/380, 106/380 अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट के कथनानुसार विचारण न्यायालय ने रास्ता प्रकरण मे तथ्यो की पुष्टि हेतु रिपोर्ट मौका तहसील प्राप्त किये बिना ही कतई विधि विरूद्ध प.न. 106/380 के कि.न. 16 मे रास्ते की जगह पर अन्य काश्तकार की ढाणी होने के क्यास के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प.न. 106/380 कि.न. 16 जिस काश्तकार की खातेदारी है ना तो वह पक्षकार था और ना ही उसका कोई

ऐतराज था इसलिए विचारण न्यायालय को विधिक प्रावधानानुसार उक्त भूमि के काश्तकार को पक्षकार बनाते हुए रिपोर्ट मौका प्राप्त कर ही आवेदन पत्र बाबत स्वीकृति रास्ता का निस्तारण करना चाहिए था जबकि प.न. 106/380 कि.न. 16 व 25 मे मौका पर रास्ता चालू था व आज भी मौका पर चालू है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे बिना मौका रिपोर्ट एवं बिना जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार रास्ता प्रकरण के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। प्रकरण मे प्रस्तुत नजरी नक्शा पटवारी जाखड़ावाली दिनांक 18.10.2016 मे रेस्पो0 की भूमि कि.न. 14 के चिपती दर्शाई गई एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा पटवारी जाखडावाली दिनांक 11.07.2017 मे रेस्पो. की भूमि कि.न. 16 के चिपती हुई दर्शाई गई है। जबकि दोनो नक्शे एक ही पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण नही किया गया और ना ही प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के संबंध मे कोई मौका जांच की गई। ऐसी स्थिति मे रास्ता प्रकरण मे बिना मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955

के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़